# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
## (पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

**अपीलार्थी**

श्रीमती मंजुदेवी उर्फ धनवंतरी पत्नी श्री भंवरसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सेन्ट पॉल स्कूल के पास, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही

**बनाम**

**प्रत्यर्थी**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही
2. पटवारी, पटवारी हल्का, सिरोही-II

**राजस्व अपील संख्या: 02/2020**

**"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"**

**उपस्थिति:**

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

**-: निर्णय :-** दिनांक 25 फरवरी, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 60/2019 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 बाबत ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 3384 रकबा 0.3200 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्धः प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों में की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिचारी घोषित करते हुए जुर्माना आरोपित करने एवं मौके से बेदखल करने आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को उक्त भूमि पर अतिक्रमण बाबत जो नोटिस जारी किया था उसका अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लिखित रुप से विस्तृत जवाब पेश किया एवं साथ ही मौके फोटोग्राफस भी प्रस्तुत किये और बहस के दौरान लिखित बहस भी पेश की गई, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना किये बगैर जवाब व लिखित बहस में अंकित तथ्यों को नही मानने का कोई ठोस कारण दर्शाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य की भलीभांति जानकारी है कि विवादित भूमि खसरा संख्या 3384 जो नगर परिषद्, सिरोही की सीमा में स्थित है एवं उक्त भूमि नगर परिषद् की सीमा में स्थित होने से नगर परिषद् अधिनियम की धारा 209 व 67 के तहत अर्बन

....पेज दो पर

लैण्ड की परिभाषा में आता है एवं नगर परिषद् सीमा में जितनी भी सरकारी बिलानाम भूमि स्थित है वह भूमि नगर परिषद् की होती है, जिसका विकास व अन्य कार्य नगर परिषद् द्वारा किया जाता है। उक्त भूमि नगर परिषद् में निहित होने से नगर परिषद् द्वारा नगर परिषद् के स्वामित्व की मानते हुए अपीलार्थी को नगर परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 203 के तहत दिनांक 14.12.2000 एवं दिनांक 24.2.2016 को उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। इससे स्पष्ट जाहिर है कि उक्त भूमि नगर परिषद् की सम्पति है जो नगर परिषद् सीमा में स्थित है। केवल राजस्व रेकर्ड में सरकारी बिलानाम दर्ज होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही करने का अधिकार नही था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी कर नगर परिषद् सीमा में स्थित सम्पूर्ण बिलानाम भूमि को नगर परिषद् के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है। नगर परिषद, सिरोही के पत्र क्रमांक/2019/7463 दिनांक 20.12.2019 के द्वारा जिला कलक्टर, सिरोही को नगर परिषद्, सिरोही में स्थित कुल 160 खसरा नम्बरों की राजकीय बिलानाम भूमि का नगर परिषद् के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है, जिसमें खसरा संख्या 3384 की भूमि भी सम्मिलित है। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि नगर परिषद् की सम्पति है, जिसके संबंध में कार्यवाही करने का तहसीलदार कोई अधिकार ही नही था, अधीनस्थ तहसीलदार ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर कार्यवाही की है, जो विधि सम्मत नही है। खसरा संख्या 3384 के आस-पास समपूर्ण आबादी बसी हुई एवं लोगों के पक्के मकानात बने हुए है। उक्त भूमि आबादी के बीचों बीच स्थित है, जो अरबन लैण्ड की परिभाषा में आती है। खसरा संख्या 3384 की भूमि में अपीलार्थी के अलावा खसरा संख्या 3384 की कुछ हिस्से पर धनुदेवी का भी पुराना कब्जा होने के आधार पर राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसरण में नगर परिषद, सिरोही द्वारा धनुदेवी के पक्ष में पट्टा विलेख जारी किया गया है जिसकी जानकारी अधीनस्थ तहसीलदार, सिरोही को है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर अपने पति के जरिये पुराना कब्जा है एवं मौके पर पक्का मकान बना हुआ है और परिवार सहित निवास कर रहा है, मौके पर चार दिवारी का निर्माण किया हुआ है, विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है व माताराणी भटीयाणी जी का मंदिर बना हुआ है। अपीलार्थी पुराने कब्जे के आधार राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार विवादित भूमि का नियमन करवाकर पट्टा प्राप्त करने की अधिकारी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्र व आदेश जारी कर नगर परिषद् की सीमा में स्थित सिवायचक एवं बिलानाम भूमि को नगर परिषद् को हस्तान्तरण कर नगर परिषद् के नाम दर्ज करने हेतु निर्देश दिये है, लेकिन अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के निर्देशों व आदेशों की पालना नही की जा रही है, इस कारण से रेकर्ड में विवादित भूमि बिलानाम दर्ज चली आ रही है, जबकि उक्त भूमि नगर परिषद् में निहित है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2017(4)WLN Page 376 एवं 2017(4)WLN Page 177 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने

....पेज तीन पर

उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में यह स्पष्ट किया है कि नगर परिषद् / नगर पालिका की सीमा में जो भी सरकारी सिवायचक/बिलानाम भूमि स्थित है वह स्थानीय निकाय में निहित है एवं जिस पर एकमात्र अधिकार संबंधित स्थानीय निकाय को ही है। उक्त दोनों न्यायिक दृष्टान्त एक अहम निर्णय है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक दृष्टान्तों को नही मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भूल की है। अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.10.2019 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, सिरोही द्वितीय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2076 में उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, सिरोही-II द्वारा अपीलर्थी के विरुद्ध संवत 2076 में ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 3384 रकबा 0.0600 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा भूमि पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं अपीलार्थी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड में विवादित भूमि राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज है एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.05 18:08:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: